हीट वेव एक्शन प्लान – 2025

जिला प्रशासन व आपदा प्रबंधन केन्द्र अजमेर

जिला स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष

फोन नम्बर :– 0145–2628932

ई–मेल आई.डी. :–

reliefsection@gmail.com

राजस्थान सरकार

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, अजमेर

क्रमांक : आ.प्र.सहा./लू–ताप/2025/ 1474 दिनांक : 09/04/2025

हीट वेव 2025 के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश एवं कार्ययोजना

आपदा प्रबंधन, सहायता एव नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा हीट वेव को लेकर एडवाइसरी समय–समय पर जारी की जा रही है। दिशा–निर्देशों की पालना किये जाने बाबत् इस कार्यालय के पत्रांक 1106–1136 दिनांक 25.03.2025 के द्वारा एडवाइसरी जारी कर दी गई है। तथा संबंधित विभागों को समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना हेतु पाबंद कर दिया गया है। हीट वेव एवं उसकी वजह से बढ़ने वाली बीमारियों को लेकर प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरूस्त रखने हेतु समय–समय पर बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न विभाग यथा चिकित्सा विभाग, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, पशुपालन विभाग, रसद विभाग, शिक्षा विभाग, सूचना एव जन–सम्पर्क विभाग आदि से लू–तापाघात मौसमी बीमारियों से बचाव के लिये आवश्यक सावधानियों के संबंध में एडवाइसरी जारी की जाकर आमजन तक जागरूकता हेतु निर्देश दिये गये हैं।

जिले में बढ़ती गर्मी एवं संभावित हीट वेव की स्थिति में प्रभावी शमन और प्रबन्धन के लिए, लू–ताप से बचाव एवं आमजन को राहत हेतु निम्नानुसार विभिन्न विस्तृत दिशा निर्देश/एडवायजरी/एक्शन प्लान जारी किए गए है –

1. आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर के पत्रांक एफ 14(01)आ. प्र. एवं सहा./लू–ताप/2025/RAJKAJ 14444933 दिनांक 28.03.2025 द्वारा जारी एडवायजरी/IEC। (प्रति संलग्न)
2. भारत सरकार द्वारा जारी हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करने संबंधी दिशा–निर्देश।

सभी संबंधित अधिकारीगण को निर्देश प्रदान किए जाते है कि उक्तानुसार जारी दिशा निर्देश/एडवायजरी/एक्शन प्लान का गहनता से अध्ययन–मनन कर आपके विभाग/कार्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उपरोक्त दिशानिर्देशों के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग – जिला प्रशासन अजमेर द्वारा आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा के लिये हीटवेव से आमजन को सुरक्षा के लिये जागरूक किया जा रहा है कि वे **हीट वेव में "क्या करें–क्या ना करें" विभाग द्वारा प्राप्त एडवाईजरी** को आमजन में प्रचार प्रसार हेतु समस्त उपखण्ड अधिकारियों तथा जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे विभिन्न संचार माध्यमों, व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से आमजन को जागरूक करें। उपरोक्तानुसार की जा रही कार्यवाही एवं मॉनिटरिंग हेतु अति0 जिला कलक्टर (भू0रू0) को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष 24×7 संचालित है। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष फोन नं. 0145–2628932 है। जिसमें किसी भी आपदा की सूचना मिलते ही डीक्यूआरटी टीम को आपदा स्थल पर भेज दिया जाता है

ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग –

- अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को निर्देशित किया गया कि वे हीटवेव के संबंध में जारी की गई गाईडलाइन की पालना किये जाने बाबत् जिले की समस्त पंचायत समिति के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायत के समस्त गांवों में आमजन को हीटवेव के बचाव उपचार के लिये व्यापक प्रचार–प्रसार करें।
- ग्रामीणों को अवगत कराया जा रहा है कि गांव में पशुओं के लिये छायादार स्थान पर खेली बनाई जावें जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ रहे, पक्षियों के लिये पेड़ों पर, बगीचों में घरों पर परिंडे रखे जाकर पानी भरा रखें।
- सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड, प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैंक आदि ऐसे स्थान जहां आमजन का निरन्तर आवागमन हो उसके आस–पास छायादार स्थान पर स्वच्छ शीतल जल की अस्थाई प्याऊ बनाई जावें।
- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर को निर्देशित किया गया कि वे पंचायत स्तर के समस्त अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर लू/तापाघात से बचाव–उपचार के बारे में प्रचार प्रसार करें एवं व्हाट्स–एप ग्रुप पर साझा करें।
- नरेगा में कार्य कर रहें मजदूरों का समय विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश अनुरूप करने के निर्देश जारी करें। समस्त नरेगा साईट पर प्राथमिक उपचार का किट रखना सुनिश्चित करें। समस्त श्रमिकों को निर्देशित करवा दिया जाये कि लू/तापाघात की स्थिति में बचाव के लिये सूती एवं हल्के रंग के कपड़े पहने तथा भूखे पेट नहीं आवे। कम मिर्च मसाले वाले एवं कम तेल के खाद्य पदार्थ का सेवन करें। खाने में प्याज सलाद छाछ दही आदि का उपयोग करें। प्राथमिक उपचार के तौर पर नमक शक्कर पानी/ओआरएस के घोल पीये।

उपखण्ड/तहसील कार्यालय :–

- सम्मेलन/जनसभा/कार्यक्रम, जिनमें अधिक संख्या में जनसमूह इकट्ठा हो, में हीट वेव एडवायजरी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें एवं संबंधित आयोजनकर्ता को अपेक्षित व्यवस्थाओं हेतु निर्देशित करें।
- क्षेत्र के पर्यटन/धार्मिक स्थलों पर हीटवेव से बचाव/प्रबंधन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- ब्लॉक स्तरीय संबंधित विभागों से एडवाइसरी की पालना सुनिश्चित करावें।
- हीट वेव के दिवसों में खेतों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है अतः सभी उपखण्ड स्तरीय अधिकारी इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं (फायर ब्रिगेड, पानी के टेंकर, पानी से भरे हुए कुएं, महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों एवं भामाशाहो के मोबाइल नं. की सूची) अद्यतन रखना सुनिश्चित करें।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभागः–

- जिले में हीटवेव के समय सम्बन्धित चेतावनी एवं जानकारी **(https://sachet.ndma.gov.in) (Sachet Mobile App) (IMD Forecast)** का समाचार पत्रों/सोशल मीडिया/टीवी के माध्यम से आमजन, स्कूल एवं कॉलेज में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।
- उपरोक्त एडवायजरी/do's and don'ts का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जावें।

चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग :-

- मेडिकल किट, जीवन रक्षक दवाईयां, आओआरएस, आईस पेक, एम्बुलंस आदि की चिकित्सा केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।
- आपात स्थिति में बचाव हेतु विशिष्ट एसी वार्ड / रूम आदि चिन्हित किए जावें।
- क्षेत्र में संभावित Mass Gathering की स्थिति पर संबंधित चिकित्सा संस्थान / केन्द्र अलर्ट रहें।
- अपने अधीनस्थ सभी हेल्थ वर्कर्स / अधिकारी / कर्मचारीगण को संसटाईज कर अपेक्षित कार्यवाही हेतु निर्देशित / प्रशिक्षित करें।
- समय–समय पर जारी किए जाने वाली IMD / सचेत चेतावनियों को तत्काल संज्ञान में ले एवं बचाव / प्रबन्ध हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- यदि कोई कोई अप्रिय घटना होती है तो वस्तु स्थिति की जानकारी जिला आपदा नियंत्रण कक्ष में भिजवाने की सुनिश्चितता की जावे।
- नियंत्रण कक्ष दूरभाष नं. 0145–2631111 है।
- रेपिड रेस्पांस टीम का गठन करें।
- समेकित रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सेल में उप मु0चि0स्वा0अधि0 मो.नं. 9928876397 एपिडिमियोलोजिस्ट, मो.नं. 9602224860, डाटा मेनेजर मो0नं. 9928369566, डीईओ मो.नं. 9214530129
- प्रभारी जिला औषधि भंडार के माध्यम से समस्त चिकित्सा केन्द्रों पर आगामी तीन माह हेतु ओआरएस जिंक टेबलेट की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएं।
- समस्त चिकित्सा केन्द्रों पर क्षमता अनुसार डेडिकेटेड बैड एवं हीट स्ट्रोक ग्रसित मरीजों के लिए वार्ड की व्यवस्था तथा चिकित्सा संस्थानों पर ओआरएस कॉर्नर स्थापित करवाएं।
- समस्त विभागों से समन्वय स्थापित करने हेतु हीटवेव संबंधित बचाव एवं जागरूकता हेतु प्रशिक्षण दिया जाकर आवश्यक सहयोग लिया जाये।
- हाईरिस्क क्षेत्रों में आउटरीच एवं एमएमवी केम्प लगाये जाकर कार्य किया जायेगा।
- फीवर सर्वे, ब्लड स्लाईड कलेक्शन, मलेरिया पॉजिटिव रोगियो का पूर्ण उपचार एन्टी एडल्ट, एन्टीलार्वल सोर्स रिडक्शन इत्यादि गतिविधियां सम्पादित की जा रही हैं।
- सर्वे प्रपत्र टेमीफोस, पायरेथियम, कूड ऑयल दवाएं व अन्य आवश्यक लॉजिस्टीक उपलब्ध करवाये।

स्वायत्त शासन विभागः–

- मनरेगा / निर्माण वर्कर्स हेतु विभागीय निर्देशों / एडवायजरी अनुसार हीटवेव से बचाव हेतु शेल्टर्स / पेयजल / समय प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करें।
- पार्क / पर्यटन क्षेत्रों आदि पर, यदि अपेक्षित हो तो, पेयजल एवं छाया व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- सड़क पर आवारा पशुओं / गायों को काइन हाउस में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- **उपलब्ध अग्निशमन वाहनों / यंत्रों को आपात स्थिति के लिए तैयार रखें।**

रीको / श्रम विभाग / उद्योग विभागः–

- निर्माण / उद्योग / वाणिज्यिक संस्थानों / प्रतिष्ठानों को हीट वेव से बचाव / प्रबन्धन हेतु प्रशिक्षित / निर्देशित करें तथा विभागीय निर्देशों / एडवायजरी अनुसार हीटवेव से बचाव हेतु शेल्टर्स / पेयजल / समय आदि प्रबंधन हेतु निर्देशित करें।
- असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स के संबंध में भी एडवायजरी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कृषि / पशुपालन विभाग / कृषि उपज मण्डियांः–

- हीट वेव के समय पशुओ के बचाव हेतु समस्त पशु चिकित्सा केन्द्रों / गौशालाओ के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे तथा पशुपालकों को भी जागरूक करें।
- फसलों / उपज में नुकसान से बचाव हेतु आवश्यक कार्यवाही एवं जागरूकता सुनिश्चित करें।
- पशुओ को सुरक्षित रखने हेतु तथा प्रभावित क्षेत्रो में चारा, पशु आहार व मृत पशुओं के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
- कृषि उपज मण्डी में आने वाले कृषकों के लिए प्राथमिक उपचार एवं शेड एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था करें।
- गौ–वंश एवं पशुओं को धूप एवं लू / तापाघात से बचाने के लिए गौशाला संचालकों द्वारा गौशाला में संचारित गौवंश व पशुपालकों के द्वारा अपने पशुओं हेतु पर्याप्त छाया की व्यवस्था करें तथा शेड को गर्म हवाओं के प्रकोप से बचाने के लिए तिरपाल / टाट / बोरे से ढकें।
- गौशाला संचालक एवं डेयरी फार्मर व पशुपालकों द्वारा संधारित पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल की सुनिश्चित की जावें।
- गौशाला संचालक एवं डेयरी फार्मर व पशुपालकों द्वारा संधारित पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में चारा, भूसा एवं पशुआहार की समुचित व्यवस्था करें।
- दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी होने के कारण भारवाहक पशुओं का उपयोग लेने से उन्हें अनावश्यक दर्द एवं हीट स्ट्रोक होने की संभावना होती है अतः पशुओं को दोपहर 12 बजे से 03 बजे तक उपयोग में न लेवे।

<u>महाविद्यालय / शिक्षा विभाग :–</u>

- विद्यालयो एवं महाविद्यालयो में एडवायजरी अनुसार विद्यार्थियों के हीट वेव / गर्मी से बचाव हेतु पेयजल / छाया आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
- विद्यार्थियों को आउटडोर गतिविधियां न करवाई जावें।
- प्रार्थना सभा एवं अन्य गतिविधिया छायादार स्थान पर ही संचालित की जायें।
- सभी कक्षायें ऐसे स्थान पर संचालित हो जिनके कक्ष हवादार हो एवं जिनमें वेन्टीलेशन की समुचित व्यवस्था हो तथा इसके साथ ही कक्षा कक्षों में उपलब्ध पंखे क्रियाशील हों।
- विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा में तापाघात से बचने के उपायों से निरन्तर अवगत कराया जाये। सभी कक्षाओं में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करवाया जाये कि लू से बचाव के संबंध में क्या करें और क्या ना करें।
- विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन हमेशा तैयार होते ही उपलब्ध करवाया जाये। प्रभारी शिक्षक भोजन परोसे जाने से पूर्व स्वयं ही चख कर जांच करें साथ ही जो विद्यार्थी टिफिन लाते हैं उन्हें सलाह दी जावे वे ताजा खाना ही लावें एवं समय पर उसका उपयोग कर लें।
- स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था की जावे एवं विद्यार्थियों को नियमित रूप से समय–समय पर पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी जावे।

<u>जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभागः–</u>

- <u>शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार करें।</u>
- पाईपलाईन की लीकेज शीघ्रता से ठीक करने की व्यवस्था करें।
- विभागीय मेन्टेनेंस कार्यो का समय आमजन में प्रचार प्रसार किया जावें तथा मेन्टेनेंस न्यूनतम समय में पूर्ण किया जावें।

<u>श्रम विभागः–</u>

- शेडेड वर्क एरिया में शीतल पेय / ओ0आर0एस0 / प्राथमिक चिकित्सा किट की अनिवार्य व्यवस्था की जाए।
- किसी श्रमिक के अस्वस्थ होने पर उसे तुरन्त नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवायें
- अधिक तापमान वाले कार्यस्थल जैसे फरनेस से संबंधित कार्य 10एम से 4 पीएम तक बंद रखे जाये।
- श्रम साध्य कार्यस्थलों पर ठंडे पानी एवं ओआरएस की व्यवस्था की जाए।

<u>आयुर्वेद विभाग :–</u>

- गर्मी एवं लू से बचाव हेतु अधीनस्थ औषधालयों / चिकित्सालयों में आने वाले रोगीयों हेतु अर्क विषुचिकान्त व कपूरधारा औषध की सप्लाई की जाए।
- विभाग द्वारा समय–समय पर जारी गाईडलाईन की पालना करवाई जाए।

पर्यटन विभाग :–

- गर्मी के मौसम मे तापमान में बढ़ोतरी संभव है इसे गंभीरता से लें। गर्मियों के मौसम में तापघात / लू से बचने हेतु पर्यटन स्थलों पर आवश्यक सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें।
- पर्यटन स्थलो पर प्राथमिक उपचार किट, शीतल पेयजल, छाया के लिए शेड की आवश्यक व्यवस्था करायें।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 :–

- चिकित्सालयों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जावें।
- विभागीय मेन्टेनेंस कार्यो के समय का आमजन में प्रचार प्रसार किया जावें तथा मेन्टेनेंस न्यूनतम समय में पूर्ण किया जावें।
- तकनीकी कर्मचारियों के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सघन निरीक्षण करवाया जाकर बिजली के ढीले तारों को तुरन्त दुरूस्त करवायें।

सभी अधिकारीगण मौसम विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी की जाने वाली चेतावनियों / फॉरकास्ट / एडवाइसरी से अवगत रहे एवं अधीनस्थों / संबंधित को इस हेतु सेंसेटाइज रखें। हीट वेव से संबंधित किसी भी घटना / दुर्घटना की तुरंत सूचना जिला आपदा नियंत्रण कक्ष फोन नं. 0145–2628932 **एवं जिला आपदा नोडल अधिकारी श्रीमती वंदना खोरवाल (अति0 जिला कलक्टर, भू0रू0) को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।**

सभी विभाग आपदा प्रबन्धन के लिए अपेक्षित पूर्व तैयारी करें तथा अन्तर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
अजमेर।

क्रमांक : आ.प्र.सहा. / लू–ताप / 2025 / 1475-1505 दिनांक : 09/04 / 2025

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, अजमेर।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर।
2. आयुक्त नगर निगम, अजमेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अजमेर।
4. आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. अति. जिला कलक्टर प्रशासन / शहर / भू0रू0 अजमेर।
6. उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी (वन विभाग) अजमेर।
7. जिला रसद अधिकारी अजमेर।
8. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला अजमेर।

9. समस्त तहसीलदार जिला अजमेर।
10. अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन / अ.वि.वि.नि.लि. / सा.नि.वि. / जन स्वा.अभि. विभाग।
11. अधीक्षण अभियन्ता एवीवीएनएल / टाटा पावर अजमेर।
12. प्राचार्य समस्त महाविद्यालय / कॉलेज जिला अजमेर।
13. जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर।
14. समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी नगर पालिकाऐं, नगर परिषद जिला अजमेर।
15. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर।
16. अधीक्षक जे0एल0एन अस्पताल अजमेर।
17. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज अजमेर।
18. उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
19. उपनिदेशक, पशुपालन विभाग / मत्स्य विभाग / कृषि विभाग।
20. क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको अजमेर।
21. संयुक्त संभागीय श्रम आयुक्त अजमेर।
22. महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र अजमेर।
23. सहायक निदेशक पर्यटक स्वागत केन्द्र अजमेर।
24. जिला परिवहन अधिकारी अजमेर।
25. महाप्रबन्धक, दूरसंचार विभाग अजमेर।
26. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी अजमेर।
27. डीएलओ डिपार्टमेन्ट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी अजमेर।
28. समस्त विकास अधिकारी प0स0 जिला अजमेर।
29. सचिव कृषि उपज मण्डियां जिला अजमेर।
30. होमगार्ड विभाग अजमेर।

जिला कलक्टर
अजमेर।

Document certified by LOK BANDHU <LOKBANDHU001@GMAIL.COM>.
Digitally Signed by Lok Bandhu
Designation : Collector & District Magistrate
Date :09-04-2025 02:25:54